



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19102026-277279  
CG-DL-E-19102026-277279

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 827]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 16, 2026/आश्विन 24, 1948

No. 827]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 16, 2026/ASVINA 24, 1948

खान मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अक्टूबर, 2026

सा.का.नि. 898(अ).— केंद्रीय सरकार, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खनिज (नीलामी) नियम, 2015 में और संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ. — (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खनिज (नीलामी) तीसरा संशोधन नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. खनिज (नीलामी) नियम, 2015 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है), के नियम 9 में,—

(क) उप-नियम (8) के,—

(i) पहले परंतुक के पश्चात, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“परंतु यह और कि अधिनियम की प्रथम अनुसूची के भाग घ में विनिर्दिष्ट खनिज की नीलामी के मामले में, तकनीकी रूप से अर्हित बोली लगाने वालों की संख्या दो से पांच के बीच है, तब सभी को अर्हित बोली लगाने वालों के रूप में माना जाएगा:”;

(ii) विद्यमान दूसरे परंतुक में, “परंतु यह और भी कि”, शब्दों के स्थान पर “परंतु यह भी कि” शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उप-नियम (9) के पश्चात, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“परंतु कि अधिनियम की प्रथम अनुसूची के भाग घ में विनिर्दिष्ट खनिज की नीलामी के मामले में, तकनीकी रूप से अर्हित बोली लगाने वालों की कुल संख्या दो या अधिक है, तब नीलामी की प्रक्रिया द्वितीय चक्र में उस रीति में आगे बढ़ेगी जैसा खंड (i) से (iii) में उपबंधित किया गया है।”;

(ग) उप-नियम (10) के पश्चात, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“परंतु कि अधिनियम की प्रथम अनुसूची के भाग घ में विनिर्दिष्ट खनिज की नीलामी के मामले में, तकनीकी रूप से अर्हित बोली लगाने वालों की कुल संख्या दो से अन्यून है, तब किसी भी तकनीकी रूप से अर्हित बोली लगाने वाले को अर्हित बोली लगाने वाला नहीं समझा जाएगा और नीलामी के प्रथम प्रयास को रद्द किया जाएगा।”।

3. उक्त नियमों के, नियम 19ड में, -

(क) उप-नियम (9) के, पहले परंतुक में, “तीन” शब्द के स्थान पर, “दो” शब्द रखा जाएगा;

(ख) उप-नियम (10) के, “तीन” शब्द के स्थान पर, “दो” शब्द रखा जाएगा;

(ग) उप-नियम (11) के, “तीन” शब्द के स्थान पर, “दो” शब्द रखा जाएगा।

[फा. सं. एम. IV-2306/10/2025-खान IV-भाग (1)]

कुलवीर सिंह यादव, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड-3, उपखंड) i) में, अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 406(अ), तारीख 20 मई, 2015 द्वारा प्रकाशित हुए थे, और तत्पश्चात निम्नानुसार संशोधित किए गए थे, अर्थात्:—

1. सा.का.नि. 1469 (अ), तारीख 30 नवंबर, 2017;
2. सा.का.नि. 190 (अ), तारीख 20 मार्च, 2020;
3. सा.का.नि. 195 (अ), तारीख 17 मार्च, 2021;
4. सा.का.नि. 422 (अ), तारीख 18 जून, 2021;
5. सा.का.नि. 776 (अ), तारीख 02 नवंबर, 2021;
6. सा.का.नि. 857 (अ), तारीख 14 दिसंबर, 2021;
7. सा.का.नि. 137 (अ), तारीख 18 फरवरी, 2022;
8. सा.का.नि. 648 (अ), तारीख 01 सितंबर, 2023;
9. सा.का.नि. 49 (अ), तारीख 21 जनवरी, 2024;
10. सा.का.नि. 255 (अ), तारीख 23 अप्रैल, 2025;
11. सा.का.नि. 764 (अ), तारीख 17 अक्टूबर, 2025;
12. सा.का.नि. 776 (अ), तारीख 22 अक्टूबर, 2025;
13. सा.का.नि. 71 (अ), तारीख 29 जनवरी, 2026; और
14. सा.का.नि. 223 (अ), तारीख 30 मार्च, 2026।

## MINISTRY OF MINES

## NOTIFICATION

New Delhi, the 16th October, 2026

**G.S.R. 898(E).**— In exercise of the powers conferred by section 13 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Mineral (Auction) Rules, 2015, namely: —

**1. Short title and commencement:**— (1) These rules may be called the Mineral (Auction) Third Amendment Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Mineral (Auction) Rules, 2015 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 9, —

(a) in sub-rule (8), —

(i) after the first proviso, the following proviso shall be inserted, namely: —

“Provided further that, in case of auction of mineral specified in Part D of the First Schedule to the Act, the number of technically qualified bidders is between two and five, then all of them shall be considered as qualified bidders.”;

(ii) in the second proviso, for the words “Provided further”, the words “Provided also” shall be substituted;

(b) after sub-rule (9), the following proviso shall be inserted, namely: —

“Provided that, in case of auction of mineral specified in Part D of the First Schedule to the Act, the total number of technically qualified bidders is two or more, the auction process shall proceed to the second round of auction in the manner provided in clauses (i) to (iii).”;

(c) after sub-rule (10), the following proviso shall be inserted, namely: —

“Provided that, in case of auction of mineral specified in Part D of the First Schedule to the Act, the total number of technically qualified bidders is less than two, then no technically qualified bidder shall be considered to be qualified bidder and the first attempt of auction shall be annulled.”.

3. In the said rules, in rule 19E, —

(a) in sub-rule (9), in the first proviso, for the word “three”, the word “two” shall be substituted;

(b) in sub-rule (10), for the word “three”, the word “two” shall be substituted;

(c) in sub-rule (11), for the word “three”, the word “two” shall be substituted.

[F. No. M.IV-2306/10/2025-Mines IV-Part(1)]

KULVEER SINGH YADAV, Joint Secy.

Note: — The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide notification number G.S.R.406 (E) dated the 20th May, 2015 and were subsequently amended as follows: —

1. G.S.R. 1469 (E), dated the 30th November, 2017;
2. G.S.R. 190 (E), dated the 20th March, 2020;
3. G.S.R. 195 (E), dated the 17th March, 2021;
4. G.S.R. 422 (E), dated the 18th June, 2021;
5. G.S.R. 776 (E), dated the 02nd November, 2021;
6. G.S.R. 857 (E), dated the 14th December, 2021;
7. G.S.R. 137 (E), dated the 18th February, 2022;
8. G.S.R. 648 (E), dated the 01st September, 2023;
9. G.S.R. 49 (E), dated the 21st January, 2024;
10. G.S.R. 255 (E), dated the 23rd April, 2025;
11. G.S.R. 764 (E), dated the 17th October, 2025;
12. G.S.R. 776 (E), dated the 22nd October, 2025;
13. G.S.R. 71 (E), dated the 29th January, 2026; and
14. G.S.R. 223 (E), dated the 30th March, 2026.